



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २११५ /अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक २७/०५/१७

प्रति,

PRINCIPAL/DIRECTOR

SAMRAT ASHOK TECHNOLOGICAL INSTITUTE
CIVIL LINES, NETAJI SUBHASH MARG VIDISHA

विषय:- अस्थाई संबद्धता की निरन्तरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली का पत्र क्र. ३३३६५०८१ दिनांक: २२ मई २०१७

महोदय,


विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरन्तरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. एम०बी०ए० फुल टाईम (FT) छात्र संख्या ६०५४५४
२. एम०बी०ए० पार्ट टाईम (PT) छात्र संख्या -

शर्तों:-

१. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरन्तरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
२. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
३. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
४. शासी विकाय की तैयारियों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
५. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ एवं ए.आई.सी.टी.ई. के नियमों के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
६. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
७. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक साप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
८. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड २८ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
९. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,


उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक २७/०५/१७

पृष्ठ क्रमांक २११६ /अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

१. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भवन भोपाल।
२. सचिव, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली।
३. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
४. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
५. वेबसाईट-प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

